(8)

14878

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन	:	***35,06,456.00 रूपये।***
स्टाम्प	:	***2,45,500.00 रूपये।*** CHALLAN No. 152120 / 31.12.10

मैं कि नबाब सिंह उर्फ नब्बू पुत्र श्री काले सिंह निवासी–ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (फरीक अव्वल, विक्रेता)।

एवम

मैसर्स उप्पल चड्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी (फरीक दोयम/क्रेता)।

नवाब सिंह

For Uppal Chadha Hi-tech Developers Pvt. Ltd.

Pathak

Authorised Signatory

Tejendra Singh
Advocate
Civil Court

Tejendra Singh
Civil Court

[illegible] 3506458/- 10000/-

[illegible] 20/- 100/- [illegible]

श्री नवाब सिंह उर्फ नब्बू

पुत्र श्री [illegible] सिंह [illegible]

निवासी ग्राम [illegible]

ने कार्यालय [illegible] किया

[illegible] 31/12/10

[illegible] वसूल किया।

[illegible]

31/12/10

नवाब सिंह

इस लेखपत्र [illegible]

[illegible] 3506458/- [illegible]

[illegible] श्री नवाब सिंह उर्फ नब्बू [illegible]

[illegible] 33 [illegible] 33 [illegible]

श्री [illegible] ने स्वीकार किया

[illegible]

विक्रीत भूमि का विवरण

(1) स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0), कृषि भूमि खाता नं0 348 के खसरा नं0 73 रकबा 0.3790 हैक्टे0 व खसरा नं0 852 रकबा 0.5750 है0 कुल रकबा 0.9540 है0 का 1/10 भाग यानि 0.0954 है0 व खाता नं0 242 के खसरा नं0 69 रकबा 0.1490 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल रकबा 0.2444 है0 प्रथम पक्ष मालिक है। अनुसार खतौनी 1409-1414 फसली जिसका फरीक अव्वल (विक्रेता) पूर्णतया स्वामी व विक्रय अधिकारी संक्रमणीय भूमिधर कागजात दर्ज है, का बैनामा हाजा में विक्रय किया जा रहा है।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 8000000/- रूपये प्रति हैक्टेयर है। लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष से 1,43,47,200/-रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से अंकन 35,06,456/- रूपये (पैंतीस लाख छः हजार चार सौ छप्पन रूपये मात्र) में तय है और सरकारी स्टाम्प क्रय मूल्य पर ही अदा किया गया है।

(3) विक्रेता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से नहीं है। विक्रेता ने इस आशय का अपना श्रीमान् तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है विक्रीत भूमि ग्राम समाज, भूदान, वक्फ, पट्टे आदि की तथा निष्क्रान्ति व शत्रु संपत्ति नहीं है और न ही इस पर कोई किसी प्रकार का विवाद है विक्रीत भूमि विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(I) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

(4) विक्रेता ने विक्रीत भूमि का प्रमाणित खसरा, खतौनी व अपना जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र व विक्रीत भूमि से संबंधित बारह साला प्रमाण पत्र भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किया है।

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

निवासी

पेशा

सब रजिस्ट्रार

3/1/10

साक्षी भले प्रतीत होते है चिन्ह

अंगुठा नियमानुसार लिये गये है

उप निबन्धक

दादरी, गौतम बुद्ध नगर

3/1/10

(5) विक्रीत भूमि उक्त आज दिन तक मुझ फरीक अव्वल (विक्रेता) की ओर से हर प्रकार के बन्धक, भार व सरकारी देनदारी आदि से मुक्त है। कही अन्य जगह आड़, रहन, बय, हिबे, महायदावय व जमानत सरकारी व अर्द्धसरकारी व निजी रूप आदि मैं ग्रस्त नहीं है। और न उक्त पर कोई बैंक ऋण व बिजली या अन्य किसी प्रकार का ड्यूज है। इस विक्रय भूमि से संबधित किसी भी प्रकार का विवाद ग्रस्त मामला किसी भी न्यायालय व सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय मै न तो दर्ज है और न ही लम्बित है। और न ही किसी निर्णीत आदेश का क्रियान्वन ही लम्बित है।

(6) विक्रीत मिल्कियत उक्त के विक्रय में कोई दोष व त्रुटी नहीं है हर प्रकार के वाद विवाद से मुक्त है उपरोक्त वर्णित/उल्लिखत भूमि के संबध में मुझ विक्रेता ने किसी अन्य व्यक्ति, कम्पनी आदि के हक में कोई मौखिक करार, वसीयतनामा व विक्रय अनुबंध पत्र, विक्रय पत्र, किसी भी कार्यालय में पंजीकृत व अपंजीकृत, पूर्व में न तो निष्पादित किया है और न ही कराया है तथा न नोटरी द्वारा सत्यापित हुआ है। यदि भविष्य में इस संबध में कोई भी वसीयतनामा, विक्रय अनुबंध/विक्रय पत्र प्रस्तुत करके विवाद उत्पन्न किया जाता है तो वह विवाद अमान्य व निष्प्रभावी होगा। तथा इसके जिम्मेदार फरीक अव्वल व उनके वारिसान होंगे।

(7) मुझ विक्रेता को विक्रय पत्र में वर्णित उक्त खाता नं0 **348** के खसरा नं0 **73** रकबा **0.3790** हैक्टे0 व खसरा नं0 652 रकबा 0.5750 है0 कुल रकबा 0.9540 है0 का 1/10 भाग यानि 0.0954 है0 व खाता नं0 242 के खसरा नं0 69 रकबा 0.1490 है0 का पूर्ण भाग इस प्रकार कुल रकबा 0.2444 है0 स्थित ग्राम कचैड़ा वारसाबाद परगना दादरी तहसील व जिला गौतमबुद्ध नगर के अपने हिस्से पूर्ण भाग को बेचने का स्वतान्त्र अधिकार पूर्णतः प्राप्त है। मुझ विक्रेता को वास्ते तरक्की काश्त एंव अन्य निजी आवश्यकता हेतू पैसों की आवश्यकता है तथा मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता से मिल रही है। अतः मुझ विक्रेता ने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, बरजामंदी, शुद्ध बुद्धि व स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अपने पारिवारिक सहमति से मय समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, काश्त भराई, हर किस्म कब्जा गर्ज के जो कुछ भी

For Uppal Chadha Hi-Tech Dev...

Authorised Signatory

अधिकार मुझ विक्रेता को विक्रीत भूमि से प्राप्त थे उससे कुछ बचा हुआ नहीं रहा है आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशी अंकन 35,06,456/— रूपये (पैंतीस लाख छ हजार चार सौ छप्पन रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन 17,53,228—(सत्रह लाख तिरेपन हजार दो सौ अठाईस रूपये मात्र) होते है के एवज मे बहाथ फरीक दोयम क्रेता उपरोक्त मैसर्स उप्पल चढ्ढा हाईटेक डवलपर्स प्रा0 लि0 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली पैन नंबर AAACU7200M द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक 33, कम्यूनिटी सैंटर न्यू फ्रेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशी मुझ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशी बाकी नही रही है।

(8) विक्रय भूमि का कब्जा मौके पर क्रेता का पूर्ण वास्तविक रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज दाखिल बन गये है उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि को जिस प्रकार चाहे बहैसियत मालकाना प्रयोग में लावें।

(9) विक्रेता, विक्रीत भूमि की बावत समस्त कागजात मे बजरिये बैनामा दाखिल खारिज मालकागजात मे कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या वो स्वंय दर्ज करवा सकते है तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर मुझ फरीक अव्वल से करा सकते है, मुझ फरीक अव्वल को कोई एतराज नहीं होगा।

(10) अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिलकियत भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबध बाकी नही रहा और न कभी रहेगा।

(11) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक फरीक अव्वल/विक्रेता की ओर कोई भार निकला ओर निकला हुआ भार क्रेता या स्थानापन को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेत्ता के अनाधिकार से या वारिसान विक्रेता की दावेदारी या किसी कानूनी नुक्स आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा कोई अंश क्रेत्ता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के

For Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd.

बलविन्दर सिंह

Authorised Signatory

उत्पन्न होने पर फरीक अव्वल/विक्रेता व उसके उत्तराधिकारीगण पूर्ण रूपसे जिम्मेदार होगे तथा क्रेता व उसके स्थानापन व उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता वारिसानकी चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते है जिस पर फरीक अव्वल/विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

(12) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।

(13) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुनकर पढ कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

(14) विक्रेता ने विक्रीत भूमि रकबई 0.2444 हैक्टेयर, खाता नं0 348 के खसरा नं0 73, 852 व खाता नं0 242 के खसरा नं0 69 स्थित ग्राम कचैडा बारसाबाद परगना दादरी तहसील दादरी व जिला गौतमबुद्ध नगर के निमित्त निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:–

For Uppal Chadha [illegible] Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(15) बैंक ऐक्सिस बैंक लि0 गाजिाबाद शाखा गाजियाबाद का चैक नंबर ३.६.७..९.३.३. अंकन 35,06,456/– रूपये (पैंतीस लाख छ हजार चार सौ छप्पन रूपये मात्र) दिनांकित 31.12.10 फरीक अव्वल द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर ली गयी है।

For Omni [illegible]

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक अव्वल (विक्रेता)

(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा)
फरीक दोयम (क्रेता)

गवाह नं0 1 ओमेन्द्र S/o [illegible]
ग्राम – [illegible]
जिला – गौतम बुद्ध नगर

गवाह नं0 2 राजेन्द्र S/o नवाब सिंह
ग्राम – [illegible]
जिला – गौतम बुद्ध नगर

तहरीरी दिनांक: 31–12–2010 मसौदा राजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

Rajendra Singh
Civil Court. GZB

सत्यमेव जयते

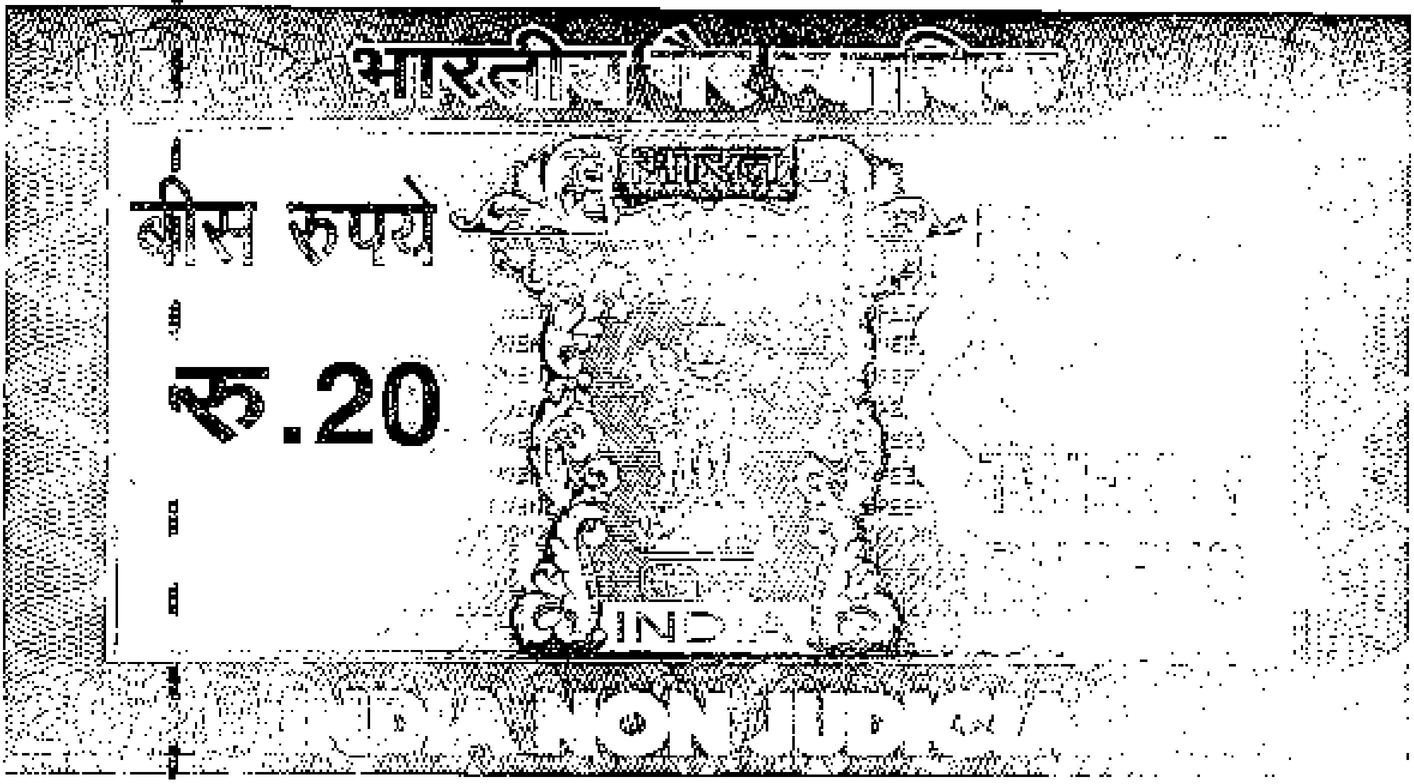

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 12AA 153051

Stamp duty paid in cash certificate in favour of–M/S **UPPAL CHADDHA HI-TECH DEVELOPERS PVT.LTD.,33,COMMUNITY CENTRE,NEW FRIENDS COLONY , NEW DELHI**

In pursuance of the order of the collector N0…memo….
dated.31.12.10 passed under Section 10-A of the
stamp act.It is certified that an amount of
Rs.2,45,500-00(Inwords Rs.two lacs forty five thousand-five hundred only)
has been paid in cash as stamp duty in respect
of this instrument in the State bank of India/
Treasury/Sub treasury **NOIDA**
By Challan No…**N152120**.. dated.,**31.12.10**
A copy of which is annexed herwwith.

Dated 31.12.2010

Senior Treasury Officer
Gautam Budh Nagar

212 ... में शामिल किया गया।

3 1 DEC 2010

रोकड़िया

★ कोषागार गौतम बुद्ध नगर ★

M/s Uppal Chaddha Hitech Developers Pvt Ltd. N. Delhi

31/12/10

3089

14878

371/384

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 60693 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौरूसिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संक्षेप उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्प[illegible]
1	2			3	4	5	6	7-12	1[illegible]
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00242	नब्बू	काले	नि. ग्राम	पू.1402	69	0.1490			
				कुल गाटे :	1	कुल क्षे.: 0.1490	9.85		

28/12/2010

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 71020116093 ग्राम का नाम : कचैड़ा वारसाबाद परगना : दादरी तहसील : दादरी

जनपद : गौतमबुद्धनगर फसली वर्ष : 1409-1414 2-9-4-97 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	मौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00348	बुद्धू	बीरबल	नि. ग्राम	पृ.1402	73	0.3790		आदेशानुसार श्रीमान रा.नि.द्वारा पत्रक-11क/12.9.01 को आदेश हुआकि खाता सं.348,352,353 से मृतक बुद्धू के स्थान पर हल्लाज,वेदू,महाराज सिंह,रनवीर हरवीर,वीरेन्द्र पुत्रगण बुद्धू व मु.चन्द्री बेवा स्व. बुद्धू ग्रामवासी के नाम बतौर वारिसान दर्जहो ह.ले.12.9.01	
	अतर सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम	पृ.1402	852	0.5750			
	सुखवीर सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम						
	अजब सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम						
	मुरारी	काले सिंह	नि. ग्राम						
	नवाब सिंह	काले सिंह	नि. ग्राम						
	बुद्धू	बीरबल	नि. ग्राम						
				कुल गाटे :	2	कुल क्षे : 0.9540	49.25		

हस्ताक्षर

18/03/2010

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक,

दादरी

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 358,252 खसरा नम्बर 33,85/2 रकबा________ स्थित ग्राम कचैडा वारसाबाद परगना दादरी________ व तहसील दादरी________ जिला गौतमबुद्ध नगर________। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै0 उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा0 लि0 को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0 सी0) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन0 ओ0 सी0) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

नरेश सिंह उर्फ नन्नू पुत्र कालि सिंह

नि0 ग्रा0 कचैडा वारसाबाद

104

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

पी०एन०बी०

दुपरौला

विषय : अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) के सम्बन्ध में

महोदय,

श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी / प्रार्थीगण ने अपनी भूमि जिसका खाता संख्या 354,252 खसरा नम्बर 13,652 रकबा ________ स्थित ग्राम कचैड़ा बीरलाबाद परगना दादरी व तहसील दादरी जिला गौ० बु० नगर ________। मुझ प्रार्थी को उपरोक्त भूमि मै० उप्पल चड्ढा हाईटैक डेवेलपर्स प्रा० लि० को बेचना है। इस कारण कम्पनी को बैंक से अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) की आवश्यकता है कि मुझ प्रार्थी की भूमि पर कोई ऋण नहीं है।

अतः आप से निवेदन है कि मुझ प्रार्थी को अनापत्ती प्रमाण पत्र (एन० ओ० सी०) प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद।

प्रार्थी

नवीन सिंह उर्फ नब्बू पुत्र काली सिंह

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 442398

<u>अनुबन्ध पत्र</u>

यह अनुबन्ध पत्र आज दिनांक .... स्थान गाजियाबाद में श्री
.... पुत्र/पति
निवासी ग्राम.................................. परगना.................... तहसील ....
व जिला ....

प्रथम पक्ष

एवं

मै0 संध्या चड्ढ़ा हाईटैक डवलपर्स प्रा0 लि0 पंजीकृत कार्यालय 33 कम्यूनिटी सेंटर न्यू फ्रेंडस कॉलोनी नई दिल्ली द्वारा .... पुत्र........................

द्वितीय पक्ष

विदित हो कि प्रथम पक्ष ग्राम...................................... परगना व तहसील.................. जिला.......................... में स्थित भूमि खाता सं0.......................... खसरा सं.......... .... कुल रकबा .... हैक्टेयर (अपने सम्पूर्ण भाग) का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज है। राजपत्रों में उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का नाम दर्ज है कोई अन्य व्यक्ति उक्त भूमि में किसी प्रकार का हकदार व हिस्सेदार नही है। उक्त भूमि पर अविभाजित परिवार का या कोई अन्य पारिवारिक वाद विवाद या कोई केस नही चल रहा है।

[signature]

प्रथम पक्ष की उक्त भूमि आज की तारीख तक हर प्रकार के कर्जे सरकारी व गैर सरकारी आदि से पाक व साफ है।

यह कि प्रथम पक्ष आज दिनांक .... को अपनी उक्त भूमि को द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय कर दिया है। जोकि सब रजिस्ट्रार दादरी कार्यालय में बही सं0 1 के पुस्तक सं0................. पृष्ठ...................... पर क्रम सं0 .... पर दर्ज है।

प्रथम पक्ष उक्त विक्रय के फलस्वरुप सम्पूर्ण प्रतिफल की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर लिये है। यह है कि प्रथम पक्ष को प्रतिफल धनराशि के अलावा उसके सम्पूर्ण हिस्से पर 400 रुपए प्रति वर्गगज के हिसाब से रु0................/— द्वारा चैक नं. .... दिनांक .... बैंक...................... द्वितीय पक्ष द्वारा दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप निम्नलिखित शर्तों की पाबन्दी दोनों पक्षों व उनके वारिसान पर रहेगी।

1. यह कि विक्रीत भूमि की निर्धारित मूल्य धनराशि अंकन......................... रुपए व उक्त भूमि पर उत्पन्न अन्य किसी भी अनुतोष लाभ या पुनर्वास हेतु आवंटित प्लाट की एवज में प्राप्त होने वाली धनराशि रु. 400 प्रति गज के हिसाब से निर्धारित धनराशि............................ दोनों पक्षों को मान्य है।

2. यह कि प्रथम पक्ष मौके पर कब्जा द्वितीय पक्ष को करा दिया है।

3. यह कि विक्रीत भूमि पर प्रथम पक्ष का कोई भी हक या अधिकार शेष नही रहा समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गये है।

4. यह कि उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनर्वास योजना के तहत यदि भविष्य में किसी भी प्रकार के भूखण्डों का वितरण शासन या किसी निकाय द्वारा किया जाता है तो उस पर प्रथम पक्ष को कोई अधिकार नही होगा। समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष क होगें। इन अधिकारों के अंतरण हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रु...................... द्वारा चैक सं0......................... दिनांक......................... बैंक .... से प्राप्त कर लिये है।

नम्बरसिंह

5. यह कि प्रथम पक्ष का विक्रय के फलस्वरुप उक्त भूमि पर लगी फसल, नलकूप या किसी भी परिसम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा।

अतः यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया है ताकि भविष्य में काम आवे।

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

गवाह

1.

2.